रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, जुलाई 21—जुलाई 27, 2013, शनिवार/आषाढ़ 30—श्रावण 5, 1935
No. 19] NEW DELHI, JULY 21—JULY 27, 2013, SATURDAY/ASADHA 30—SRAVANA 5, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
(Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय नौसेना सिविलियन तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उसका संबंध तकनीकी सहायक (ई डी पी) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, नौसेना में तकनीकी सहायक (इलैक्ट्रोनिक आंकड़े प्रक्रमण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, तकनीकी सहायक (इलैक्ट्रोनिक आंकड़े प्रक्रमण) समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी सहायक (इलैक्ट्रोनिक आंकड़े प्रक्रमण)	03* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2, 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** : ऐसे आंकड़े, प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी ग जिन्होंने वेतन बैंड –2, 9300–34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा की है ।

	(11)
	टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनको द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुत सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):-		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. ज्येष्ठ प्रधान निदेशक (सिविलियन), एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना)	—अध्यक्ष	
2. निदेशक सिविलियन कार्मिक एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना)	सदस्य	
3. अपने-अपने वृत्तिक निदेशालय के संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना)	सदस्य	
4. अवर सचिव/रक्षा (नियुक्तियाँ) रक्षा मंत्रालय	—सदस्य	

[फा. सं. सी पी (जी)/1508/आर आर/टी ए/आर आर/158/13/रक्षा नियुक्तियाँ)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th July, 2013

S.R.O. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Indian Navy Civilian Technical Officers (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2003 in so far as they relate to the post of Technical Assistant (EDP) the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant (Electronic Data Processing) in the Ministry of Defence, Navy, namely:-

1. Short title and commencement.—1. These Rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy, Technical Assistant (Electronic Data Processing), Group 'B' Gazetted post, Recruitment Rules 2013.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number , classification, pay band and grade pay or pay scale .—The number of the said post, its classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Assistant (Electronic Data Processing)	03* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300—34800 Grade Pay Rs. 4800	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion :** Data Entry Operator grade 'C with six years years regular service' in the pay band 2 of Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4200 rendered after appointment thereto on regular basis. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Cental Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—		Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.
1. Senior Principal Director (Civilians) Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy)	—Chairman	
2. Director of Civilian Personnel Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy)	—Member	
3. Joint Director/Deputy Director of Respective Professional Directorate Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)	—Member	
4. Under Secretary/D(Appointments) Ministry of Defence	—Member	

[F. No. CP(G)/1508/RR/TA/158/RR/13/D(Apptts.)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

3122 GI/13-2

6

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समूह 'ग' (इलैक्ट्रानिक आकड़ा प्रक्रमण केंद्र) पद भर्ती नियम, 1966 का, जहां तक उनका संबंध आकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ग' से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) एकीकृत मुख्यालय में समूह 'ख' इलैक्ट्रानिक आकड़ा प्रक्रमण पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ख' अराजपत्रित (इलैक्ट्रानिक आकड़ा प्रक्रमण) पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इससे संलग्न उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ग'	08* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-1 में 2800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 5200–20200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर समूह श्रेणी 'ख' में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** : इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर समूह 'ख' के पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा लगातार तीन वर्ष की होगी। **टिप्पण 2** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 3** : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
	प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी ; (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 में 5200–20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड -1 में 5200–20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।

	(11)
	(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से 10 + 2 या सीनियर सेकंडरी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है । (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रानिक प्रत्ययन कंप्यूटर पाठ्यक्रम (डीओईएसीसी) के विभाग से कंप्यूटर प्रोग्राम या आंकड़ा आधारित प्रबंध में 'ए' स्तर का प्रमाणपत्र रखता हो । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित कमांड के मुख्यालयों के कमोडोर या सिविलियन आफिसर के समतुल्य रैंक का आफिसर —अध्यक्ष 2. संबंधित कमांड के मुख्यालयों के कमांडर या सिविलियन आफिसर के समतुल्य रैंक का आफिसर —सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी आफिसर की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. सीपी/एनजी/2830/सीपी बी/ईडीपी/आरआर/241/13/रक्षा (नियुक्ति)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th July, 2013

S.R.O. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Group 'C' (Electronic Data Processing Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to Data Entry Operator Grade 'C', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Electronic Data Processing posts in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'B' Non-Gazetted, (Electronic Data Processing Posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay/scales of pay.—The number of the posts, their classification, pay band and grade pay/scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Entry Operator Grade 'C'	08* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34,800 plus Grade pay of Rs.4200	Selection	Not Applicable

3122 GI/13-3

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Data Entry Operator Grade 'B' with six years regular service in the pay scale of Rs.5200-20200 with the Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-I rendered after appointment thereto on regular basis. **Note 1 :** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder posts of Data Entry Operator Grade 'B' on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** (A) Officers of the Central/State Government/Union Territories:
	(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 in Pay Band-I or equivalent; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 in Pay Band-I or equivalent; and

(11)
(B) possessing following educational qualification and experience:— (i) passed 10+2 or Senior Secondary Level examination from a recognised institute. (ii) possessing 'A' level certificate of proficiency in computer programming or data base management from Department of Electronics Accredited Computer Courses (DOEACC) recognized institute. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale, is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Officer of the rank of Commodore or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters —Chairman 2. Two Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters —Members	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. CP/(NG/2830/GP-B/EDP/RR/241/13/D (Apptts.)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

का.नि.आ. 52.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

जूनियर लीडर्स अकादमी
पिन-900426
मार्फत 56 एपीओ,
बरेली

[सं. 1(1)/2011-रक्षा (रा.भा.1)]
विक्रम देव दत्त, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 11th July, 2013

S.R.O. 52.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Army Headquarters more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Junior Leader Academy
Pin-900426
C/o 56 APO, Bareilly

[No. 1(1)/2011-D(OL-1)]
VIKRAM DEVDUTT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Tel : 23010064

MOST IMMEDIATE
Integrated Headquarters
Ministry of Defence(Navy)
Directorate of Civilian Personnel
New Delhi-110011

CP(NG)/2852/RR

27 Aug 2013

The Flag Officer Commanding-in-Chief
[for CSO(P&A)]
HQ Western Naval Command
Mumbai-400 001

The Flag Officer Commanding-in-Chief
[for CSO(P&A)]
Eastern Naval Command
Visakhapatnam-530 014

The Flag Officer Commanding-in-Chief
[for CSO(P&A)]
Southern Naval Command
Kochi-682004

The Flag Officer Commanding
[for (CSO(LA&P)]
Andaman & Nicobar Command
Port Blair

FORWARDING OF RECRUITMENT RULES – EDP STAFF, GROUP 'B'

1. Revised recruitment rules of Group 'A' and 'B' EDP Staff have been notified and published vide SRO 50 and 51/2013 dated 16 Jul 13. A copy of the Gazette notification is forwarded herewith for information and further circulation to the Units under your Command.

Encl: SRO 50 & 51/2013

(RS Kharag)
DCP(NG)

Copy to:-

The General Secretary Indian Naval Defence Workers Federation No.6, 6th Street, Vaishnavi Nagar RCC Post, Chennai-600109	The General Secretary All India Defence Employees Federation, "SM Joshi Bhavan" Dr. Babasaheb Ambedkar Road
The General Secretary Confederation of Defence Recognised Associations 96, Defence Apartments G-17, Paschim Vihar, Rohtak Road, Delhi-87	The General Secretary All India Naval Technical Supervisory Staff Association Naval Dockyard, Mumbai-400023
The General Secretary Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2-A, Navin Market, Kanpur-208001	

Internal:
DCP(G) JDCP(PAY) JDCP(FP/P&P)

MIS Section – for IRFC website